न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

लालचन्द पुत्र गणेशराम जाति कुमावत उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी ग्राम गौरवपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अमरा पुत्र मांगू जाति कुम्हार
2. गिरधारी पुत्र मांगू जाति कुम्हार
3. मालू पुत्र मांगू जाति कुम्हार
4. इब्राहिम पुत्र गुलाब जाति कुम्हार
5. इस्लाम खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
6. इसाक खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
7. खाजू पुत्र गुलाब जाति लुहार फौत
   7/1 आरिफ खान पुत्र खाजू
   7/2 कालू खा पुत्र खाजू
   7/3 मुमताज बानो पुत्री खाजू
8. छीतर खॉ पुत्र उजीर जाति लुहार
9. छोटीदेवी पत्नि सावलराम जाति जाट
10. जरीना बानो पुत्री घीसा खॉ जाति लुहार
11. नानूराम पुत्र मेवाराम जाति जाट
12. फरीद पुत्र बुन्दू जाति लुहार
13. बरजी पत्नि नानूराम जाति जाट
14. बिरदीदेवी पत्नि सुण्डाराम जाति जाट
15. भॅवर खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
16. महबुब खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
17. महमुद खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
18. मालचन्द पुत्र भगवाना जाति कुम्हार
19. मोहनीदेवी पत्नि सेवाराम जाति जाट
20. रेमतबानू पत्नि इसमाईल जाति लुहार
21. राजादेवी पत्नि भगवाना जाति कुम्हार
22. शहजाद खॉ पुत्र इसमाईल खॉ जाति लुहार
23. शान्तिदेवी पत्नि लि[illegible]
   23/1 बसन्तीलाल पुत्र लिछमण[illegible]
      23/1/1 उमरावदेवी पत्नि
      23/1/2 नरेन्द्र कुमार पुत्र
      23/1/3 राजकुमार पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

23/1/4 मीनादेवी पुत्र
23/1/5 अन्जूदेवी पुत्री
23/1/6 सन्जूदेवी पुत्री
23/2 शिवराज पुत्र लिछमण
23/3 शिम्भुलाल पुत्र लिछमण
23/4 शंकर पुत्र लिछमण
23/5 रमेश पुत्र लिछमण
23/6 द्वारकाप्रसाद पुत्र लिछमण
23/7 नवरतन पुत्र लिछमण
23/8 बबली पुत्र लिछमण
23/9 मंगली पुत्र लिछमण
23/10 सीता पुत्र लिछमण

24. सेवाराम पुत्र मेवाराम जाति जाट
25. साबूदीन पुत्र गुलाब जाति लुहार
26. सावलराम पुत्र मेवाराम जाति जाट
27. हनुमानप्रसाद पुत्र भगवाना जाति कुम्हार
28. हमीर पुत्र इसमाईल खॉ जाति लुहार
29. हीनाबानू पुत्री इसमाईल खॉ जाति लुहार
30. मनीदेवी पत्नि फुलचन्द जाति मीणा
31. सुरजीदेवी पत्नि नन्दा जाति मीणा
    निवासीयान ग्राम गौरवपुरा लूणवां तहसील नावां।
32. शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा चौमू।
33. शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भांकरोटा।
34. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा लूणवां।
35. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा जोबनेर।
36. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किशनगढ रेनवाल।
37. शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ रेनवाल।
38. उपपंजीयक नावां तहसील नावां।
39. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

<u>दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी
श्री सौरभ कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 23/1/1 ता 23/1/6, 23/2 ता 23/10

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुकदमा नम्बरः 41/2020 निर्णय दिनांकः– 25.01.2024

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि गत राजस्व ग्राम लूणवां व वर्तमान राजस्व ग्राम शेरपुरा तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 10 रकबा 119 बीघा 6 बिस्वा स्थित रही है। जिसके नवीन भू–प्रबन्ध की कार्यवाही सन् 1985–86 के दौरान् नवीन खसरा नम्बर 65 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 4.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर कुल रकबा 18.49 हैक्टर कायम हुये है। उपर्युक्त नवीन खसरान् के भाग गत खसरा नम्बर 10 रकबा 119 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से सम्वत 2026 के आस पास पूर्व खातेदार केशरसिंह पुत्र हनुमानसिंह से 15 बीघा भूमि हुक्मा वल्द रामू ने व 15 बीघा भूमि वादी लाला उर्फ लालचन्द वल्द गणेश ने एंव 15 बीघा भूमि मांगू वल्द रामू कुम्हार ने अर्जित कर मौके पर अर्जित भू–भाग का कब्जा सहर्ष प्राप्त कर लिया था। जिसका खतौनी चौसाला सम्वत 2026 से 2029 में इन्द्राज हो गया। सम्वत 2026 से 2040 तक यह प्रविष्टी लगातार चलती आ रही थी। सम्वत 2040 के पश्चात दिनाक 30.09.1981 को खातेदार हुक्मा वल्द रामू ने अपने हक व हिस्से की सम्पूर्ण 15 बीघा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैचान नामा बतौर प्रतिफल केता शान्तिदेवी पत्नि लिछमणराम जाति सुनार निवासी लूणवा वाली को विक्रय कर विक्रित भू–भाग का कब्जा उसी दिवस सुपूर्द कर दिया था। उक्त विक्रय का हल्का पटवारी ने नामान्तरण दर्ज कर जमाबंदी में अंकन करते समय क्रेता शान्तिदेवी पत्नि लिछमणराम व वादी लाला पुत्र गणेश का केवल मात्र 15 बीघा भूमि में ही अंकन दिया। जबकि वादी लाला पुत्र गणेश की 15 बीघा भूमि अलग दर्ज चली आ रही थी। क्रेता शान्तिदेवी पत्नि लिछमणराम ने हुक्मा वल्द रामू के हिस्से की 15 बीघा भूमि खरीद की थी। राजस्व कर्मचारीयो को वादी की 15 बीघा भूमि का वादी के नाम के साथ अलग अंकन करना था परन्तु भूल एंव अज्ञानतावश शान्तिदेवी और वादी का संयुक्त रूप से 15 बीघा रकबा दर्ज कर शेष 15 बीघा भूमि का रकबा राजस्व रिकोर्ड के अंकन से विलोपित कर दिया। जबकि शान्तिदेवी का खरीद शुद्धा रकबा 15 बीघा अलग था व वादी का कदीमी रकबा 15 बीघा अलग था। नवीन भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के पश्चात राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो ने बेसिक जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2065 बनाई उसमें कुल खसरान् का योग तो सही रूप से 18.49 हैक्टर दर्ज कर दिया परन्तु खातेदारान् के नाम अंकित पृथक पृथक रकबे को गलत रूप से दर्ज कर 2.47 हैक्टर भूमि में शान्तिदेवी व वादी लाला उर्फ लालचन्द को दर्ज कर दिया जबकि वादी की मौके एंव गत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार 2.40 हैक्टर भूमि एंव इसी अनुसार शान्तिदेवी की भी 2.40 हैक्टर भूमि चली आ रही है। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के पश्चात एकपक्षीय न्यायालय आदेश से खाता पृथक होते हुये खसरा नम्बर 1283/64 रकबा 0.16 हैक्टर व 1284/66 रकबा 3.08 हैक्टर कुल रकबा 3.24 हैक्टर की जमाबन्दी प्रार्थी मनीदेवी व सुरजीदेवी के नाम अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

कायम कर दी एंव शेष खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 15.25 हैक्टर भूमि की जमाबन्दी वादी व दीगर खातेदारान् के नाम से अलग कायम कर दी जो वादी के कदीमी खातेदारी अधिकारो की भूमि पर बेअसर होकर नल एण्ड वोइड है। वादी अपने द्वारा अर्जित की गई 15 बीघा अर्थात 2.40 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2026 से आदिनांक तक निरन्तर एंव निर्विवाद रूप से बहैसियत जायज कृषक काबिज चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो की भूल एंव अज्ञान्ता से आज दिन राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम 247/3050 हिस्सा की 1.2350 हैक्टर भूमि ही दर्ज है तथा वादी की जाति कुम्हार की जगह दरोगा दर्ज कर दी है। जबकि वादी अपने कदीमी कब्जा काश्त एंव गत रिकोर्ड के अनुसार 15 बीघा अर्थात 2.40 हैक्टर भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने अपने कदीमी कब्जा काश्त एंव खातेदारी अधिकारो की भूमि को लाखो रूपया लगाकर काफी उपयोगी एंव अवल बनाया है। वादी व उसके परिवार की आजिविका का साधन यही कृषि भूमि है। जिसके सहारे वादी अपना व अपने परिवार का लालन पालन करता चला आ रहा है। मौके पर वादी की 2.40 हैक्टर भूमि अलग सीव गाँठ की शक्ल में स्थित है जिसका वादी बाई मिटस एण्ड बोण्डस् विधिवत भू-विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकोर्ड में शुद्धि करवाने हेतु कहा तो उन्होने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा की तुम्हे वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार 1.2350 हैक्टर भूमि ही मिलने वाली है शेष 1.165 हैक्टर भूमि को हम मौके पर खुन खच्चर की स्थिति उत्पन्न कर लाठी भाटे के जोर पर हडप कर लेगे। जिसका उन्हें कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। अगर प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो वादी अपने कदीमी कब्जा काश्त एंव खातेदारी अधिकारो की भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह स्वंय या अपने एजेन्टो के मार्फत वादी के कब्जा काश्त एंव आधिपत्य की 2.40 हैक्टर भूमि में दखल नही करे। प्रतिवादी संख्या 01 ता 31 गत खसरा के सह-खातेदार होने से व प्रतिवादी संख्या 32 ता 37 के यहा भूमि रहन होने से एंव प्रतिवादी संख्या 38 व 39 प्रतिनिधि सरकार होने से आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम शेरपुरा के नवीन खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 [illegible] नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 15.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 12[illegible]/6[illegible] रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284/66 रकबा 3.08 हैक्टर कुल रकबा 3.24 [illegible] भूमि में से 15 बीघा अर्थात 2.40 हैक्टर भूमि का वादी काबिज [illegible] के खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री एवं राजस्व ग्राम शेरपुरा के [illegible] खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 15.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 1283/65 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284/66 रकबा 3.08 हैक्टर कुल रकबा 3.24 हैक्टर भूमि में वादी की 15 बीघा अर्थात 2.40 हैक्टर भूमि का बाई मिटस एण्ड बोण्डस् विधिवत भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कर वादी की पृथक जोत कायम करने की तहरीर तहसीलदार, नावां को जारी करने तथा राजस्व ग्राम शेरपुरा के नवीन खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 15.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 1283/65 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284/66 रकबा 3.08 हैक्टर कुल रकबा 3.24 हैक्टर भूमि में से वादी की 15 बीघा अर्थात 2.40 है0 भूमि में प्रतिवादीगण स्वंय या अपने एजेन्टो के मार्फत दखल नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 11 ता 19, 21, 22, 24 ता 37 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 व 23 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7/1 ता 7/3, 20, 23/1 ता 23/10 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 खाजू एवं प्रतिवादी संख्या 23 शांतिदेवी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता श्री सौरभ कुमावत ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किये। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 खाजू एवं प्रतिवादी संख्या 23/1 बसन्तीलाल के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 23/2 ता 23/10 के विरूद्ध दिनांक 12.10.2022 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही मनसुख की गई।

प्रतिवादी संख्या 23/1/1 ता 23/1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 23/2 ता 23/10 की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ कुमावत ने इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम [illegible] ग्राम शेरपुरा की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 10 रकबा 119 बिघा 6 बि[illegible] स्थि[illegible] रही है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 86, 164 कुल रकबा 18[illegible] हैक्टर कायम हुए है। नवीन भू–प्रबंध की कार्यवाही पश्चात् न्यायालय [illegible] 3.24 के हैक्टर भूमि का खाता अलग हो गया जिसके पश्चात् नवीन खसरा न[illegible] 164 रकबा 0. 94 हैक्टर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 242 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1. 07 हैक्टर कुल रकबा 25.25 हैक्टर कायम हुए। उपरोक्त नवीन खसरान के भाग गत खसरा नम्बर 10 में से सम्वत् 2026 के आस पास 15 बिघा भूमि हुक्मा वल्द रामू ने व 15 बिघा भूमि वादी लालचन्द ने खरीद की जिसकी राजस्व रिकोर्ड में प्रविष्टि सम्वत् 2040 तक चलती रही इसी दौरान दिनांक 30.09. 1981 को हुक्मा वल्द रामु ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण 15 बिघा भूमि उत्तरदातागण की माता, दादी व सास शातिदेवी को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादी लालचन्द व उत्तरदातागण की माता, दादी व सास शांतिदेवी का गलत रूप से संयुक्त केवल 15 बिघा भूमि में नाम दर्ज कर दिया तथा शेष 15 बिघा भूमि राजस्व रिकोर्ड से विलोपित कर दी। जबकि वादी लालचन्द की 15 बिघा भूमि अलग थी व उत्तरदातागण की माता, दादा व सास शांतिदेवी की 15 बिघा भूमि अलग थी। शांतिदेवी के कब्ज़ा काश्त एवं खातेदारी अधिकारो की 15 बिघा अर्थात् 2.40 हैक्टर भूमि पर उत्तरदातागण जरिये उत्तराधिकार निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक चले आ रहे है। जिसकी खातेदारी पाने के उत्तरदातागण कानूनी अधिकारी है। खातेदारी प्राप्त कर उत्तरदातागण अपनी 2.40 हैक्टर भूमि का वादी के साथ ही बाई – मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत् भू–विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी लालचन्द, पी.डब्ल्यू.2 गवाह मदनलाल, पी.डब्ल्यू.3 गवाह सुजाराम के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2010 से 2021 पेश की जो प्रदर्श पी 1, जमाबंदी संवत 2022 से 2029 पेश की जो प्रदर्श पी 2, जमाबंदी संवत 2030 से 2036 पेश की जो प्रदर्श पी 3, जमाबंदी संवत 2037 से 2040 पेश की जो प्रदर्श पी 4, जमाबंदी संवत 2042 से 2045 पेश की जो प्रदर्श पी 5, जमाबंदी संवत 2046 से 2065 पेश की जो प्रदर्श पी 6, मिलान क्षैत्रफल पेश किया जो प्रदर्श पी 7 एवं जमाबंदी संवत 2054 से 2057 पेश की जो प्रदर्श पी 8, चालू जमाबंदी पेश की जो प्रदर्श पी 9 है। ओर साक्ष्य वादी एवं जिरह नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू. 1 प्रतिवादी द्वारका प्रसाद, डी.डब्ल्यू. 2 सुण्डाराम, डी.डब्ल्यू. 2 नानुराम के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। प्रतिवादी ने अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में मूल बैचाननामा दिनांक 30.09. 1981 पेश किया जो प्रदर्श डी 1 है। ओर साक्ष्य प्रतिवादी एवं जिरह नहीं करना चाहने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस [illegible] किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार [illegible] के खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 15.25 हैक्टर भूमि में बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी लालचन्द का 2.40 हैक्टर भूमि पर व शांति देवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 23/1 से प्रतिवादी संख्या 23/10 का 2.40 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त होना साबित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी लालचन्द के नाम 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि खातेदारी की रही है जिसका इंद्राज जमाबंदी संवत 2040 तक की जमाबंदी में दर्ज रहा है तथा तत्कालिन खातेदार हुकमा पुत्र रामू के नाम 15 बीघा भूमि की खातेदारी पूर्व में दर्ज रही है एवं मालू गिरधारी अमरा पि. मांगु के नाम 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि की खातेदारी दर्ज रही है जिसका इन्द्राज भी संवत 2040 तक की जमाबंदियों में दर्ज है। तत्पश्चात हुकमा पुत्र रामू की 15 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 23 शांतिदेवी द्वारा दिनांक 30.09.1981 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद कर ली जो बैचाननामा प्रदर्श डी1 से साबित है। तत्पश्चात सवंत 2042 से 2045 का जमाबंदी चौसला तैयार करते समय वादी लाला के 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि व शांतिदेवी पत्नि लिछमण की 15 बीघा भूमि को अलग अलग हिस्से के रूप में दर्ज नहीं करके वादी लाला व शांति देवी दोनो के नाम केवल मात्र 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी एवं 15बीघा भूमि की खातेदारी छोड दी गई जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2042 से 2045 प्रदर्श पी 5 में स्पष्ट है। तथा भू–प्रबंध कार्यवाही के पश्चात की नवीन खसरान की जमाबंदियों में वादी लाला व शांतिदेवी का हिस्सा पूर्ववृति जमाबंदियों अनुसार संयुक्त रूप से 2.47 हैक्टर भूमि ही दर्ज कर दिया गया एवं मालू गिरधारी अमरा का हिस्सा 2.47 हैक्टर भूमि खातेदारी में दर्ज कर दिया जो संवत 2046 से 2065 की जमाबंदी प्रदर्श पी 6 से साबित है। तत्पश्चात सन् 2018 में सेग्रीगेशन के दौरान चौसाला जमाबंदी संवत 2054 से 2057 तैयार करते समय प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा 2.47 हैक्टर के स्थान पर 4.1301 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई एवं वादी लालचन्द के हिस्से में 15 बीघा भूमि के बजाय 1.235 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई एवं शांतिदेवी के हिस्से में 15 बीघा भूमि के बजाय 1.235 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई जो जमांबदी प्रदर्श पी9 से स्पष्ट है। इस प्रकार ऑनलाईन सेग्रीगेशन जमाबंदी संवत 2054 से 2057 के दौरान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 23 की 1.6601 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में हिस्से से अधिक भूमि दर्ज होना साबित है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 23 की शेष भूमि 0.6699 हैक्टर भूमि शेष प्रतिवादी संख्या 4 ता 22 व 24 ता 31 हिस्से में अनुपातिक रूप में हिस्से से अधिक होना स्पष्ट हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 4.1301 हैक्टर भूमि में से 1.6601 हैक्टर भूमि का वादी लालचन्द एवं प्रतिवादी संख्या 23 शांतिदेवी के वारिसान को बहिस्सा बराबर से खातेदार घोषित किया जाना एवं शेष 2.47 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 23 के शेष 0.66 हैक्टर भूमि शेष खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 ता 22 [illegible] 31 के हिस्से में से दर्ज खातेदारी हिस्सा अनुसार अनुपातिक रूप [illegible] प्रतिवादी 23 के वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है तथा वादी लालचन्द की जाति दरोगा के स्थान पर कुम्हार किया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार नावां द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में अंकित 2.40 हैक्टर भूमि का वादी लालचन्द एवं 2.40 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 23 शांतिदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 23/1 ता 23/10 को बहिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए उनके भूमि का भू–विभाजन करना एवं वादी लालचन्द की जाति दरोगा के स्थान पर कुम्हार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 23 के कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 15.25 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी लालचन्द को 2.40 हैक्टर भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 23 शांतिदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 23/1 ता 23/10 को 2.40 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की 4.1301 हैक्टर भूमि के स्थान पर 2.47 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता हैं एवं शेष 0.6699 हैक्टर भूमि शेष खातेदारान की दर्ज खातेदारी भूमि में हिस्सा अनुसार अनुपातिक रूप से कम की जावें तथा उपरोक्त भूमि में वादी लालचन्द की जाति दरोगा के स्थान पर कुम्हार घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

लालचन्द पुत्र गणेशराम जाति कुमावत उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी ग्राम गौरवपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. अमरा पुत्र मांगू जाति कुम्हार
2. गिरधारी पुत्र मांगू जाति कुम्हार
3. मालू पुत्र मांगू जाति कुम्हार
4. इब्राहिम पुत्र गुलाब जाति कुम्हार
5. इस्लाम खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
6. इसाक खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
7. खाजू पुत्र गुलाब जाति लुहार फौत
   7/1 आरिफ खान पुत्र खाजू
   7/2 कालू खा पुत्र खाजू
   7/3 मुमताज बानो पुत्री खाजू
8. छीतर खॉ पुत्र उजीर जाति लुहार
9. छोटीदेवी पत्नि सावलराम जाति जाट
10. जरीना बानो पुत्री घीसा खॉ जाति लुहार
11. नानूराम पुत्र मेवाराम जाति जाट
12. फरीद पुत्र बुन्दू जाति लुहार
13. बरजी पत्नि नानूराम जाति जाट
14. बिरदीदेवी पत्नि सुण्डाराम जाति जाट
15. भॅवर खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
16. महबुब खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
17. महमुद खॉ पुत्र घीसा खॉ जाति लुहार
18. मालचन्द पुत्र भगवाना जाति कुम्हार
19. मोहनीदेवी पत्नि सेवाराम जाति जाट
20. रेमतबानू पत्नि इसमाईल जाति लुहार
21. राजादेवी पत्नि भगवाना जाति कुम्हार
22. शहजाद खॉ पुत्र इसमाईल खॉ जाति लुहार
23. शान्तिदेवी पत्नि लिछमण जाति सुनार फौत
   23/1 बसन्तीलाल पुत्र लिछमण
      23/1/1 उमरावदेवी पत्नि
      23/1/2 नरेन्द्र कुमार पुत्र
      23/1/3 राजकुमार पुत्र
      23/1/4 मीनादेवी पुत्र
      23/1/5 अन्जूदेवी पुत्री
      23/1/6 सन्जूदेवी पुत्री
   23/2 शिवराज पुत्र लिछमण
   23/3 शिम्भुलाल पुत्र लिछमण
   23/4 शंकर पुत्र लिछमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

23/5 रमेश पुत्र लिछमण
23/6 द्वारकाप्रसाद पुत्र लिछमण
23/7 नवरतन पुत्र लिछमण
23/8 बबली पुत्र लिछमण
23/9 मंगली पुत्र लिछमण
23/10 सीता पुत्र लिछमण

24. सेवाराम पुत्र मेवाराम जाति जाट
25. साबूदीन पुत्र गुलाब जाति लुहार
26. सावलराम पुत्र मेवाराम जाति जाट
27. हनुमानप्रसाद पुत्र भगवाना जाति कुम्हार
28. हमीर पुत्र इसमाईल खॉ जाति लुहार
29. हीनाबानू पुत्री इसमाईल खॉ जाति लुहार
30. मनीदेवी पत्नि फुलचन्द जाति मीणा
31. सुरजीदेवी पत्नि नन्दा जाति मीणा
    निवासीयान ग्राम गौरवपुरा लूणवां तहसील नावां।
32. शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा चौमू।
33. शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भांकरोटा।
34. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा लूणवां।
35. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा जोबनेर।
36. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किशनगढ रेनवाल।
37. शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ रेनवाल।
38. उपपंजीयक नावां तहसील नावां।
39. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :– 41/2020 निर्णय दिनांक :– 25.01.2024

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी एवं श्री सौरभ कुमावत प्रतिवादी संख्या 23/1/1 ता 23/1/6, 23/2 ता 23/10 को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 23 के कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 164 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.07 हैक्टर कुल रकबा 15.25 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी लालचन्द को 2.40 हैक्टर भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 23 शांतिदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 23/1 ता 23/10 को 2.40 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार [illegible] भू–विभाजन किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को 4.1301 हैक्टर [illegible] स्थान पर 2.47 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जा[illegible] एवं शेष 0.[illegible] हैक्टर भूमि शेष खातेदारान की दर्ज खातेदारी भूमि में हिस्सा अनुसार [illegible] की जावे तथा उपरोक्त भूमि में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

लालचन्द की जाति दरोगा के स्थान पर कुम्हार घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहरीर ज़ारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested